

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 73/2025

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़


वादी

बनाम

- 1 मदनलाल पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़
- 2 रमणी देवी पत्नी ठाकरराम पुत्री मदनलाल जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ़
- 3 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने
के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक न०
2 आरडब्ल्यूडी के खाता सं० 82/76 प०न० 222/340 मु० 22 किलानं० 14/2/0.0630,
17/0.2530 24/2/0.2020, प०न० 225/343 मु० 63 किलानं० 1/4/0.0740, 2/2/0.
0030 9/1/.0110, 10/2/0.2280, 11/2/0.2280, 12/1/0.0110, 19/1/0.0110,
20/2/0.2280, 21/2/0.2020 22/3/0.0110 है० तथा चकनं० 2 आर. डबल्यू डी के
खाता सं० 83/79 में प्रतिवादी सं० 1 मदनलाल के नाम से अंकित 0.0800 है० अनकमाण्ड
आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खात तकसीम
कर रकमराज अलग से कायम की जावे व चकनं० 2 आर डबल्यू डी के खाता सं० 83 /79
में से प्रतिवादीसं० 1 मदनलाल का नाम कलमजन व इसी चक के खाता सं० 82/76 में से
प्रतिवादी सं० 1 मदनलाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार
राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त
होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।


(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।